झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 485 / 2024

जय बालाजी ज्योति स्टील्स लिमिटेड, कंपनी सचिव के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुश्री श्रेयसी साहा, उम्र लगभग 33 वर्ष,पिता- श्री श्रीबास साहा,

दोनों ग्राम- कॉर्पोरेट कार्यालय 5, बेंटिक स्ट्रीट, डाक घर - लाल बाजार, थाना - हरे स्ट्रीट, जिला- कोलकाता 700001, पश्चिम बंगाल और निवासी 11, राजा संतोष रोड, अलीपुर, डाक घर और थाना - अलीपुर, जिला- कोलकाता, 700027 (पश्चिम बंगाल) ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. आशीष कुमार गुप्ता, पिता-छोटेलाल गुप्ता, निवासी मकान नंबर 336, वार्ड नंबर 12, गौशाला, नाला रोड, कचहरी मोहल्ला, जुगसलाई, थाना और थाना - जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)

..... उत्तरदाताओ

याचिकाकर्ताओं के लिए:	श्री प्रतीक सेन, एडवोकेट
	श्री पीएस एएस पति, एडवोकेट
राज्य के लिए :	श्री पंकज कुमार,
उत्तरदाता संख्या 2 के लिए:	पीपी सुश्री वाणी कुमार, एडवोकेट

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वाराः दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दिनांक 11.01.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर ने धारा 406, 420, 467, 468, 471, जी.आर नंबर 136/2023 के अनुरूप बिष्टुपुर आरोप-पत्र सं.51/22 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 34 और उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और उत्तरदाता सं 2 के विद्वान वकील संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 2805/2024 की ओर आकर्षित करते हैं, जो उत्तरदाता सं 2/मुखबिर के हलफनामे और याचिकाकर्ता के आपराधिक विविध याचिका सं 485/2024 *पैरवीकार* द्वारा समर्थित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता सं. 2 के बीच एक समझौता किया गया है। इसके बाद संयुक्त रूप से यह प्रस्तुत किया गया है कि मित्रों के साथ-साथ शुभचिंतकों के हस्तक्षेप के बाद पार्टियों के बीच अच्छी भावना प्रबल हुई है और पार्टियों के बीच विवाद सुलझ गया है। आगे संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पार्टियों ने एक समझौता समझौता किया है और उक्त निपटान समझौते की प्रति तत्काल वादकालीन आवेदन संख्या 2805/2024 के पृष्ठ-17 से 26 पर रखी गई है और उक्त निपटान समझौते के संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा मुखबिर उत्तरदाता सं 2 को 1,80,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद एक निजी विवाद है और इस मामले में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है और समझौता सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, इस आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जीआर संख्या 136/2023 के अनुरूप बिष्टुपुर आरोप-पत्र सं.51/2022 के संबंध में दिनांक 11.01.2023 का आदेश जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान पीपी प्रस्तुत करता है कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को जीआर संख्या 136/2023 के अनुरूप बिष्टुपुर आरोप-पत्र सं.51/2022 के संबंध में दिनांक 11.01.2023 के आदेश को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2017) 9 एससीसी 641** में रिपोर्ट किया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन *अन्य बातों के साथ-साथ* पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया था और पैरा सं 11 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है -

> ***11****. धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। क़ानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्चतर न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 1188: (2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160: (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल के शरीर के लिए विज्ञापन दिया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन्हें उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या निहित के अभ्यास में प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करना है अधिकार-क्षेत्र। उच्च न्यायालय के साथ जिन विचारों का वजन होना चाहिए, वे हैं: (एससीसी पीपी 342-43, पैरा 61*
>
> > *"61. ... अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को*

संयोजित करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक रूप से प्रफुल्लित होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों के जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध, आदि; ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारी और मुख्य रूप से सिविल स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्य, नागरिक, साझेदारी <u>या इस तरह के लेनदेन या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध,</u> आदि या पारिवारिक विवाद_जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और

पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता होने के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौता करने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय के सिरों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा। (महत्व सन्निविष्ट)

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह पक्षों के बीच निजी विवाद के बराबर है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण निपटान के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता याचिकाकर्ता को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां जीआर संख्या 136/2023 के अनुरूप बिष्टुपुर आरोप-पत्र सं. 51/2023 के संबंध में दिनांक

11.01.2023 का आदेश, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, जीआर संख्या 136/2023 के अनुरूप बिष्टुपुर आरोप-पत्र सं. 51/2023 के संबंध में दिनांक 11.01.2023 का आदेश, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग रखा जाता है।

10. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

11. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के मद्देनजर, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 2805/2024 तदनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
3 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
स्मिता / ए. एफ. आर.

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।